

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2015—आषाढ़ 30, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्र. 16065-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2015 को पुरस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१५

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है। संक्षिप्त नाम।

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० (क्रमांक ६ सन् २०००) की धारा २ में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड) “अधोसंरचना परियोजना” के अन्तर्गत आते हैं सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निस्सारण, ऊर्जा, भांडागारण, खाद्यान्न भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बागवानी और किसी क्षेत्र की कोई अन्य अधोसंरचना संबंधी परियोजनाएं या इनमें से दो या अधिक क्षेत्रों की कोई बहुउद्देशीय परियोजना;”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का गठन मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० (क्रमांक ६ सन् २०००) के अधीन किया गया था। बोर्ड का गठन वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने और सरकारी अधोसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था।

२. अधिनियम की धारा २ के अधीन बोर्ड के लिए आवश्यक है कि सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निस्सारण सहित अधोसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। बदले हुए परिदृश्य में, राज्य के सम्पूर्ण अधोसंरचना विकास हेतु, सभी अधोसंरचना क्षेत्रों को बोर्ड से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु पात्र बनाया जाए। अतः अधिनियम में परिभाषित “अधोसंरचना क्षेत्र” की व्याप्ति को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपालः

तारीख २५ फरवरी, २०१५।

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2015—आषाढ़ 31, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. 3343-206-इकीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 4 OF 2015.

**THE MADHYA PRADESH ADHOSANRACHNA VINIDHAN NIDHI BOARD
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2015**

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-six year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000 (No. 6 of 2000), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(e) “infrastructure projects” include projects in the sector of roads, irrigation, water supply, solid waste management, drainage, energy, warehousing, storage of food grain, food processing, health, education, skill development, information technology, horticulture and any other infrastructure project of any sector or a multipurpose project in any two or more of these areas;’.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board was constituted under the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000 (No. 6 of 2000). The Board was constituted to mobilize financial resources and provide financial assistance to Government Infrastructure projects.

2. Under Section 2 of the Act, the Board has mandate to provide financial assistance to infrastructure projects including roads, irrigation, water supply, solid waste management and drainage. In the changed scenario, for the overall infrastructure development of the State all infrastructure sectors need to be made eligible for availing financial assistance from the Board. Hence, scope of “Infrastructure sectors” defined in the Act need to be amended.

3. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated, the 25th February, 2015.

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.